# FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी, उनियारा (टोंक)** मुकाम : **उनियारा**

**पटवारी, बनेठा** बनाम **तहसीलदार, उनियारा (टोंक)**

प्रार्थना पत्र संख्या : 283 /2020

किरम मुकदमा : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131, 132 राज.भू राजस्व अधिनियम, 1956** व **नियम 58,59,60, 66,86 राजस्थान भू अभिलेख नियम, 1957**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 26.10.2020 | राज्य सरकार के आदेश सयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6)विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.(3)राज'6/पार्ट/04/दिनांक 10.08 2016 के अनुसार रास्ते संबंधी समस्याओ का निराकरण के तहत मौके पर चालू रास्तो का राजस्व अभिलेखो में अंकन करने हेतु तहसीलदार, उनियारा द्वारा ग्राम **बनेठा** पटवार मण्डल, **बनेठा** के आराजी **खसरा नम्बर 5147 रकबा 0.13 हैक्टर एंव 5183 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म पेटा** में से जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एंव नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम, 1957 का मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, अनापत्ति प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत **बनेठा** पर्चा मौका पटवारी **बनेठा**, सरपंच एंव ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत **बनेठा** गुगल नक्शे की वर्तमान प्रिन्ट एंव अभिशंषा **तहसीलदार, उनियारा** प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकारी को होने से दर्ज रजिस्टर किया जाये। तहसीलदार, उनियारा से प्राप्त सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के **खसरा नम्बर 5147 रकबा 0.13 हैक्टर एंव 5183 रकबा 0.09 हैक्टर** की **भूमि किस्म पेटा** होने से माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर द्वारा सिविल रिट 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 2 अगस्त 2004 को पारित निर्णय की अनुपालना में **पेटा भूमि** की किस्म परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। पत्रावली एंव उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन करने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण में दिये गये निर्देशो के आलोक में प्रार्थना पत्र **अस्वीकार** किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। | |